# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः मु.स.प्र./मा.सेल/2020/25-33 दिनांकः 17.3.2020

उप आवासन आयुक्त
जोधपुर–प्रथम, द्वितीय
उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर

विषयः– योजनाओं का प्रचार–प्रसार करने हेतु सरकारी कार्यालयों में पम्पलेट्स वितरण कराने बाबत्।

संदर्भः– पत्र क्रमांक मु.स.प्र./2020/1478 दिनांक 03.03.2020

उपर्युक्त विषयक लेख है कि राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में **("बुधवार नीलामी उत्सव–सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को 13 वर्षों की आसान किश्तों पर 50 प्रतिशत तक छूट पर आवास आवंटन योजना के अन्तर्गत)** राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को किश्तों पर निर्मित फ्लेट्स एवं आवास नीलामी के द्वारा आवंटन किया जाना है तथा इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी आवासीय योजना, प्रताप नगर, जयपुर के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं, उनके व्यापक स्तर पर सरकारी कार्यालयों में प्रचार–प्रसार करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

1. पम्पलेट (प्रारूप संलग्न) वितरित कराकर योजनाओं का प्रचार–प्रसार करवाया जावे।
2. इसके लिये आपके कार्यालय से अनुभवी कर्मचारियों/अधिकारियों के द्वारा आपके क्षेत्र में स्थित समस्त राज्य सरकार के कार्यालयों में पम्पलैट्स का वितरण व्यापक स्तर पर करावाया जावे।
3. सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा यदि कोई योजना सम्बन्धी सूचनाऐं चाही जाती है अथवा कोई योजना सम्बन्धी पूछताछ की जाती है तो आपके कार्यालय के द्वारा सरकारी विभागों में भेजे जाने वाले अनुभवी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्तर पर पूछताछ का सही जवाब/सूचना उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
4. इन योजनाओं के मानचित्र इत्यादि भी विभागों में प्रचार–प्रसार के लिये सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को अवलोकन करवाया जावे।
5. प्रत्येक वृत्त स्तर पर सरकारी कार्यालयों से सम्पर्क करने का दैनिक कार्यक्रम मुख्यालय पर प्रेषित किया जावे एवं दिये गये निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रतिदिन ई–मेल आई. डी. cem.rhb@rajasthan.gov.in पर प्रेषित की जावे।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
2. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय)

# राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष - 0141-2744688

हमारा प्रयास-सबको आवास

# सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिये खुशखबरी

## बुधवार नीलामी उत्सव के तहत

**50%** तक की भारी छूट

## 13 वर्षों की आसान किश्तों पर आवास लेने का सुनहरा अवसर

**156** आसान मासिक किश्तें

**मात्र 10 % भुगतान पर ही आवास की चाबी**

## उपलब्धता

'बुधवार नीलामी उत्सव' के तहत
42 शहरों की 50 योजनाओं में
50 प्रतिशत तक के डिस्काउंट पर उपलब्ध समस्त आवास

उपलब्ध आवासों की सूची मण्डल की 'वेबसाईट' www.urban.rajasthan.gov.in/rhb तथा समस्त मण्डल कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।

**पात्रता** राज्य सरकार के राजकीय विभागों/राजकीय उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में कार्यरत समस्त कर्मचारी एवं अधिकारीगण

## सीलबंद नीलामी के नियम

- नीलामी की कार्यवाही प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ होकर बुधवार सायं 04.00 बजे तक चलेगी। नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को सम्बन्धित आवास/फ्लैट की आरक्षित दर की 5 प्रतिशत अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक निर्धारित बोली/निविदा आवेदन पत्र के साथ सीलबंद लिफाफे में जमा कराना होगा। निर्धारित अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के अभाव में बोली निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। बोलीदाता प्रत्येक सोमवार एवं मंगलवार को प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक एवं बुधवार प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक सम्बन्धित कार्यालय में सीलबंद प्रस्ताव दे सकेंगे।
- प्रत्येक आगामी बुधवार की नीलामी के लिये प्रत्येक शुक्रवार को नीलामी के उपलब्ध आवासों की सूची अपडेट कर दी जायेगी।
- राज्य कर्मियों को मण्डल द्वारा निर्धारित पिंक कलर के बिड फॉर्म में सीलबन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुत करनी होगी।
- बोलीदाता निर्धारित आवेदन पत्र वृत्त-कार्यालयों में उप आवासन आयुक्त/स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों में आवासीय अभियंता कार्यालय से अथवा मण्डल की वेब साईट से डाऊनलोड करके निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।
- नकद भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध
- उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए आगामी 03 दिवसों में जमा करानी होगी। यदि जमा करने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस तक राशि जमा करवा सकेंगे। उक्तानुसार राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सफल बिड दाता राज्य कर्मी को शेष 90 प्रतिशत राशि पर मण्डल द्वारा 13 वर्षों की (156) समान किश्तों का आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।
- सफल बिड दाता राज्य कर्मियों को अपने नियंत्रक अधिकारी (आहरण/ वितरण अधिकारी) से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि वह मासिक किश्त जमा करवाने में चूक करता है तो मण्डल के निवेदन पर संबंधित राज्य कर्मचारी की बकाया किश्त (ब्याज सहित) वेतन में से काट कर मण्डल को भिजवा दी जायेगी।
- सभी प्राप्त प्रस्तावों को बुधवार सायं 4.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जायेगा। बुधवार को राजकीय अवकाश होने पर अग्रिम कार्य दिवस को सायं 04.00 बजे तक सीलबंद निविदा प्राप्त करने एवं 04.30 बजे उसे निर्धारित कमेटी द्वारा खोलने की कार्यवाही की जायेगी।
- नीलामी से सम्बन्धित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जायेगी।
- नीलामी समिति को अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। सीलबंद नीलामी के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जायेगी एवं समिति द्वारा उसे स्वीकृत किया जा सकेगा।
- सीलबंद निविदाओं में अधिकतम निविदा दर के रूप में एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा मौके पर उपस्थित निविदा दाताओं की उपस्थिति में ऐसे प्रस्तावों के संबंध में लॉटरी (पर्ची द्वारा) निकाली जा कर सफल बोलीदाता का चयन किया जायेगा।
- एक बोलीदाता एक से अधिक नीलामी में भी भाग ले सकेगा अर्थात एक से अधिक आवासों/फ्लैट्स के क्रय के लिए सीलबंद प्रस्ताव दे सकेगा। एक ही परिवार के सदस्य चाहे पति-पत्नी ही क्यों न हो नीलामी में एक ही समय पर भाग ले सकते है एवं नीलामी में सम्पत्ति क्रय कर सकते है ।
- योजनावार/अपार्टमेंटवार नोडल अधिकारियों की सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध

**प्रत्येक शनिवार-रविवार को मौका दिखाने की विशेष व्यवस्था**

**अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb देखें।**

अध्यक्ष

आवासन आयुक्त

Size: 37x24 sqcm

# राजस्थान आवासन मण्डल

आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर दूरभाष 0141 2744688

हमारा प्रयास, सबको आवास

## राजस्थान राज्य सहायक कर्मचारी

## कृपया ध्यान दें

### जयपुर की प्रतिष्ठित आवासीय योजना प्रताप नगर में फ्लैट आवंटन का सुनहरा अवसर

## मुख्यमंत्री राज्य सहायक कर्मचारी आवासीय योजना, प्रताप नगर, जयपुर

स्ववित्त पोषित योजना

राजस्थान सरकार के कार्यरत राज्य सहायक कर्मचारियों ( ड्राईवर, कनिष्ठ सहायक, गार्डनर, टेलिफोन ऑपरेटर, जमादार, हैल्पर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाईकर्मी इत्यादि ) के लिए

पे मेट्रिक्स लेवल : एल- 1 से एल- 5 तक

**फ्लैट्स की कुल संख्याः- 1056 ( बी+एस+12 )**

**अनुमानित कुल निर्मित क्षेत्रफल 612.00 वर्गफीट**

**लागत रू. 10.98 लाख**

**एकॉमोडेशनः- 2 बेडरूम, 1 लिविंग/डायनिंग हॉल, 1 किचन, 2 टॉयलेट व 1 बॉलकनी**

दिनांक 24 फरवरी से 31 मार्च, 2020 तक ऑनलाईन आवेदन करें।

ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र कांउटर पर भी 100 रू. मात्र के भुगतान पर किया जा सकता है।

अन्य सुविधाएं : साइकिल ट्रेक, लैंड स्केपिंग, सामुदायिक केन्द्र, लिफ्ट, फायर फाइटिंग सिस्टम, पार्किंग, कॉमन एरिया में एल.ई.डी. लाईट, सुरक्षा गार्ड एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि।

RERA Reg. No.: RAJ/P/2020/1207

नोटः योजना की सम्पूर्ण जानकारी एवं ऑन-लाईन आवेदन की प्रक्रिया राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर देखी जा सकती है।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रत्येक बुधवार को आयोजित **बुधवार नीलामी उत्सव** लगातार जारी है इसमें भाग लेकर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट पर आवास लेने का सुनहरा मौका।

अध्यक्ष

आवासन आयुक्त